



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / जोन-9 / 2024 / डी- 8156

दिनांक:- 15-10-2024

(संशोधित भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

बंसल बिल्डकॉन प्रा० लि०

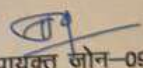
जरिये निदेशक श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल,
निवासी 1057, बंसल हाउस, पानो का दरीबा,
सुभाष चौक, जयपुर।

विषय:- ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी की योजना प्लॉटसिटी एनक्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 406 एवं 407 क्षेत्रफल 1922.01 वर्ग गज (1607.03 व.मी.) के आवासीय प्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.03.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार ग्राम श्रीकिशनपुरा तहसील सांगानेर में स्थित निजी खातेदारी की योजना प्लॉटसिटी एनक्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 372, 406 एवं 407 क्षेत्रफल 1922.01 वर्ग गज (1607.03 व.मी.) के आवासीय प्लेट्स प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत जोन कार्यालय द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति पत्र क्रमांक डी-6216 दिनांक 03.05.2024 को जारी किया गया था उक्त जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र में पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 406 एवं 407 के स्थान पर सहवन से भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 372, 406 एवं 407 अंकित कर दिया गया है जो गलत है।

अतः भवन निर्माण स्वीकृति पत्र क्रमांक डी-6216 दिनांक 03.05.2024 को जारी पत्र में पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 372, 406 एवं 407 क्षेत्रफल 1922.01 वर्ग गज (1607.03 व.मी.) के स्थान पर पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 406 एवं 407 क्षेत्रफल 1922.01 वर्ग गज (1607.03 व.मी.) पढा जावें।


उपायुक्त जोन-09
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सार्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./जोन-9/2024/डी-6216

दिनांक:- 05/12/24

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

बंसल बिल्डकॉन प्रा० लि०

जरिये निदेशक श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बंशीधर अग्रवाल,

निवासी 1057, बंसल हाउस, पानो का दरीबा,

सुभाष चौक, जयपुर।

विषय:- निजी खातेदारी की योजना प्लॉट सिटी एनक्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 369, 370, 371, 372, 406 एवं 407 क्षेत्रफल 1922.01 वर्ग गज के (1607.03 व.मी.) आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.03.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1922.01 वर्ग गज
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	24 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर
3.	पुर्नगठन जारी दिनांक	29.02.2024
4.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन	पुर्नगठित भूखण्ड
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण सी.ए./99/25451

अनुमोदित मानदण्ड:-

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 31.12.2024 तक प्रभावी है।			
2.	सैटबैक	सामने-1	पार्श्व-1	पार्श्व-2	पीछे
		6.0 मी.	4.5 मी.	4.50 मी.	6.0 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	7559.57 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	3.66 (5889.24 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	सैट बैक क्षेत्र के अन्दर			
6.	ऊँचाई	0.75 मी. (प्लिन्थ) + 3.0 मी. (स्टिल्ट) + 18 (प्रथम से 6 तल)			
7.	तलों की संख्या	(स्टिल्ट + ग्राउण्ड + 5 तल)			
8.	पार्किंग	कार	स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल		
		43	00	40	56.33

तथ्य:-

1.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	दिनांक 13.03.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	लागू नहीं है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक नहीं है। सीसीजेडएम मेप 2023 के अनुसार येलो जोन में है जिसमें टॉप एलिवेशन 406 मीटर है। साईट एलिवेशन 362 मीटर है। इस प्रकार 44 मीटर उंचाई अनुज्ञेय है। अनुमोदित मानचित्रों अनुसार 27.90 मीटर उंचाई प्रस्तावित है।

सामान्य शर्तें:-

- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
- स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
- भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपयुक्त पुलिस स्टेशन को सूचित किया जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावित रूप से किये जा सकें।
- विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/



Signature valid
Digitally signed by Gulab Chand
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.06.03 19:34:41 IST
Reason: Approved

6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दा सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to operate (यदि लागू हो) नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर भवन विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्त:-

1. प्रश्नगत भूखण्ड की लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 29.09.2024

Signature valid

Digitally signed by Gulab Chand
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.06.03 19:34:41 IST
Reason: Approved



विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 31.12.2024 तक देय होगी।

- यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक मई 2031 तक प्रभावी है।
- यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:-

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
CENTRAL BANK OF INDIA	115294	1069600 / -	प्रथम	15.04.2025
	115295	1069600 / -	द्वितीय	15.01.2026
	115296	1069600 / -	तृतीय	15.10.2026
	115297	1069600 / -	चतुर्थ	15.07.2027
	115298	1069600 / -	पंचम	15.04.2028

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.03.2024 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (04 मानचित्र)

भवदीय,

**उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- श्री विष्णु मोहन झां, चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

**उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

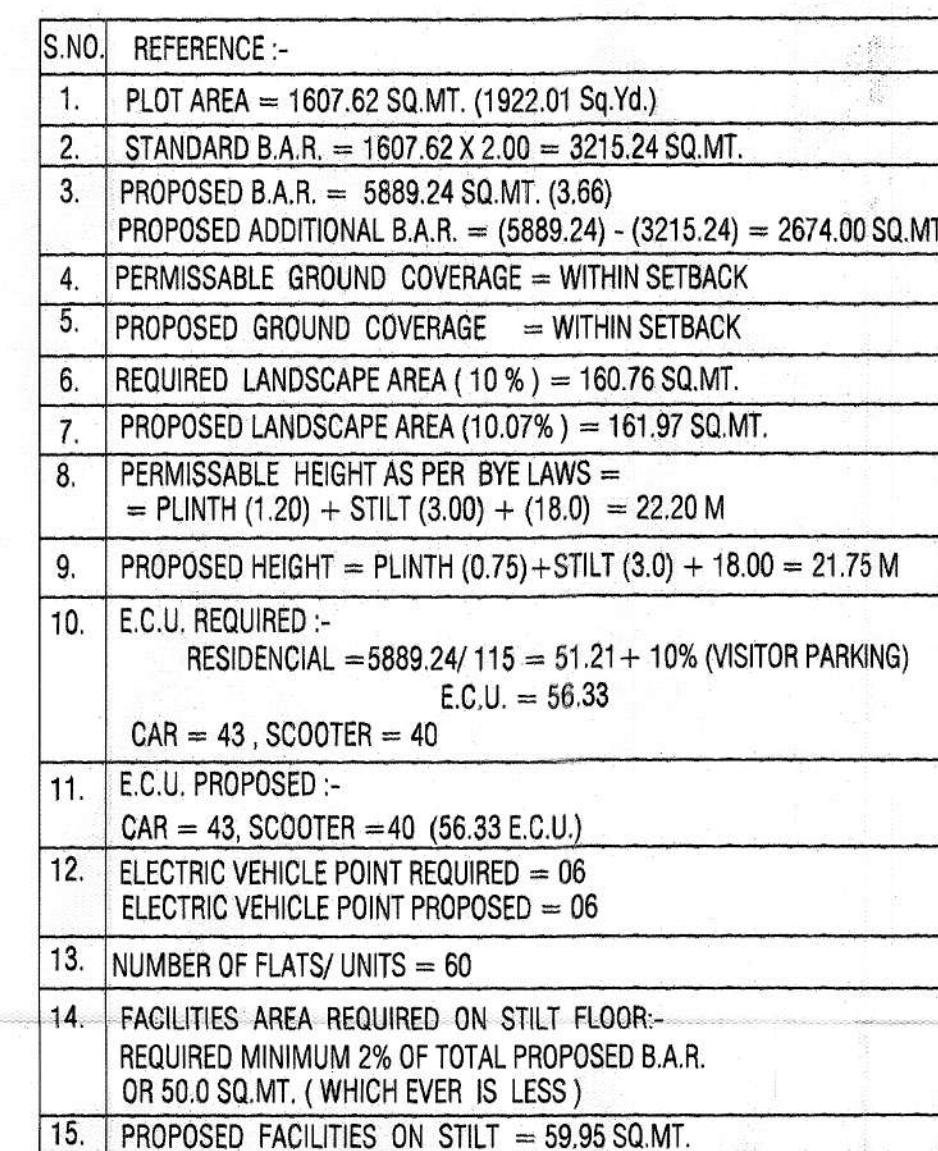
RajKaj Ref
6923823

Signature valid

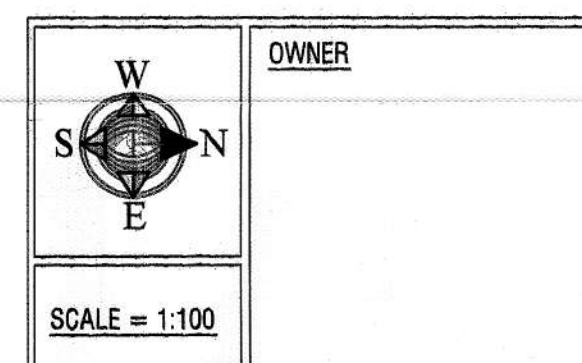
Digitally signed by Gulab Chand
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.05.03 18:34:41 IST
Reason: Approved



Scanned with OKEN Scanner



AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)					
S.NO	FLOOR	GROSS BUILT UP	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.
1	STILT FLOOR GUARD ROOM, UG WATER TANK DG./TRANSFORMER.	1042.93	-	7.36	64.38
2	1st FLOOR	1025.68	47.51	7.36	970.81
3	2nd FLOOR	1025.68	47.51	7.36	970.81
4	3rd FLOOR	1025.68	47.51	7.36	970.81
5	4th FLOOR	1025.68	47.51	7.36	970.81
6	5th FLOOR	1025.68	47.51	7.36	970.81
7	6th FLOOR	1025.68	47.51	7.36	970.81
8	STAIR CASE MUMTY ARCHITECTURAL ELEMENT	334.01	-	-	-
9	TOTAL	7559.57	-	-	5889.24



PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO.- 369, 370, 371, 406 & 407, PINK
CITY ENCLAVE, JAIPUR

ARCHITECT :-

 **SPACE GRID**

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015

PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRIKRISHNAN
ARCHITECT
CA/99/25451

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

कम प्रदूषित वा अनुमोदन किसी भी प्रक्रमण की/प्रमाण
का प्रमाण पत्र नहीं मिला।
प्रमाण किसी के स्थापित संबंधों अधिनियम के अन्तर्गत
अन्य: सर्वेक्षणों के रूप में निर्माण की संस्था के अन्तर्गत
प्रमाण का प्रमाण।

प्रकरण को जेन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 13/03/24 को रखा जाकर 31/03/24 तक उपयोग के लिये लागू किया जाकर जयिदा/उपा/जेन-9/2024/सी 6216 दिनांक 03/05/24 को जारी कर अनुमोदित किये गये है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विधिवत 2020 की धारा 10.11.1 के दिशा निर्देशों
के अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का
भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जयपुर
भवन निर्माता के विरुद्ध नियन्त्रक
की ज़रूरी।

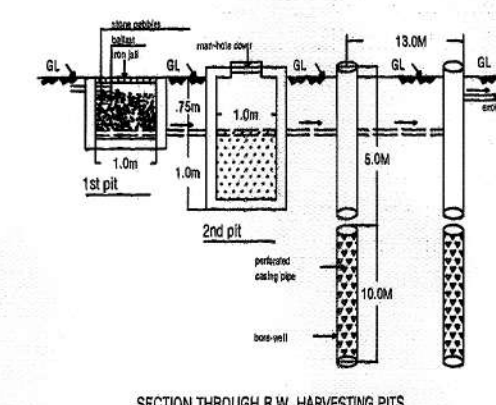
अनुमोदित
पेरु लगाओ-हरियाली बढाओ

लोकेन्द्र शिव
उपनगर निवाजक, जॉन-७
लखनपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त एवं प्रमुख अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

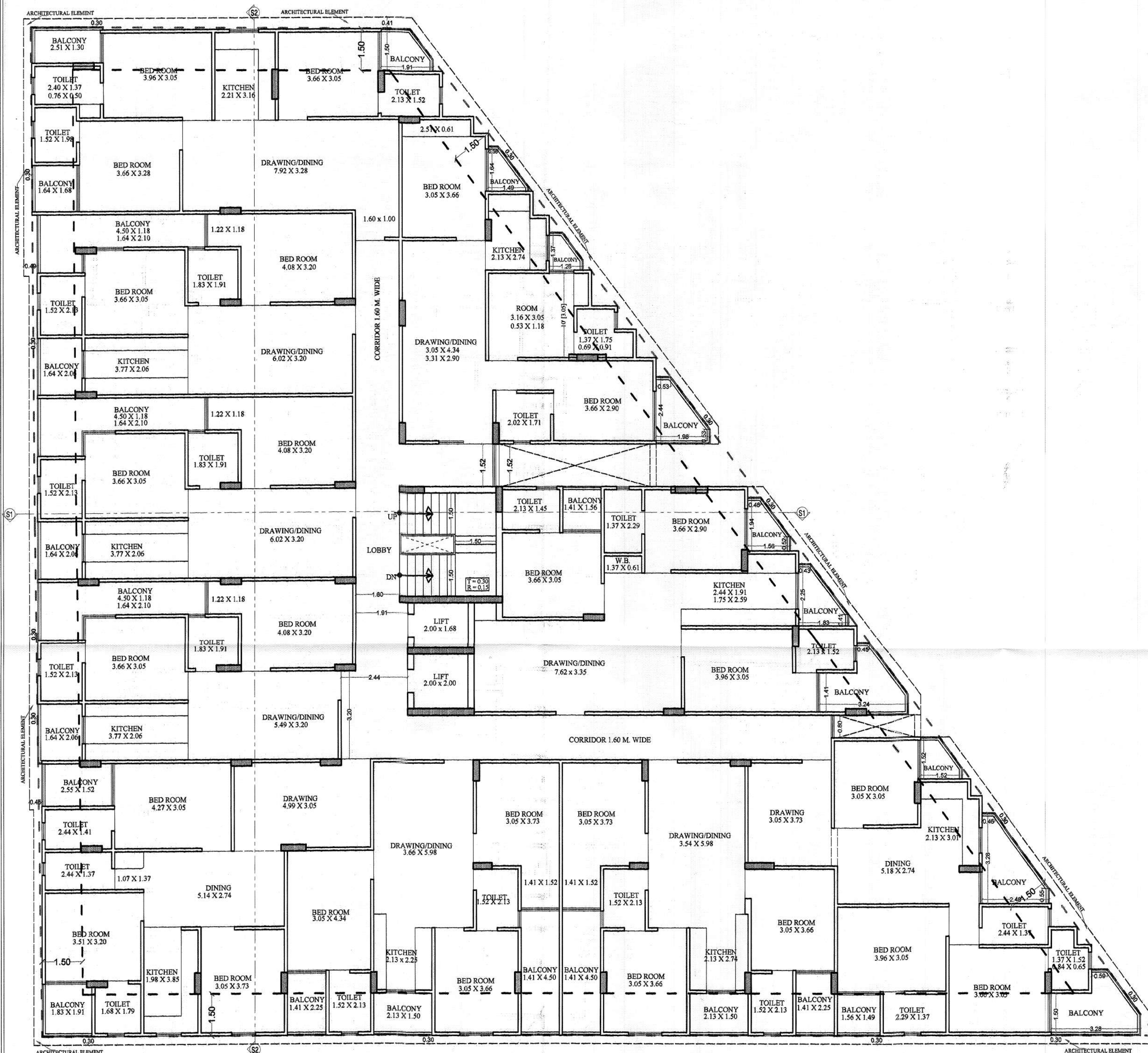
जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
डिजिटल 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधान रखे जाये
गए। जयपुर जयपुर द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

500 वर्षी से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनीय **prominently display** की जायेगी उक्त प्रकरणों के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा तथ्यांक संसाधन पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत होने की दिवसे से एक सप्ताह में प्रकाशित व्यवसाय अधिवार्ता में।

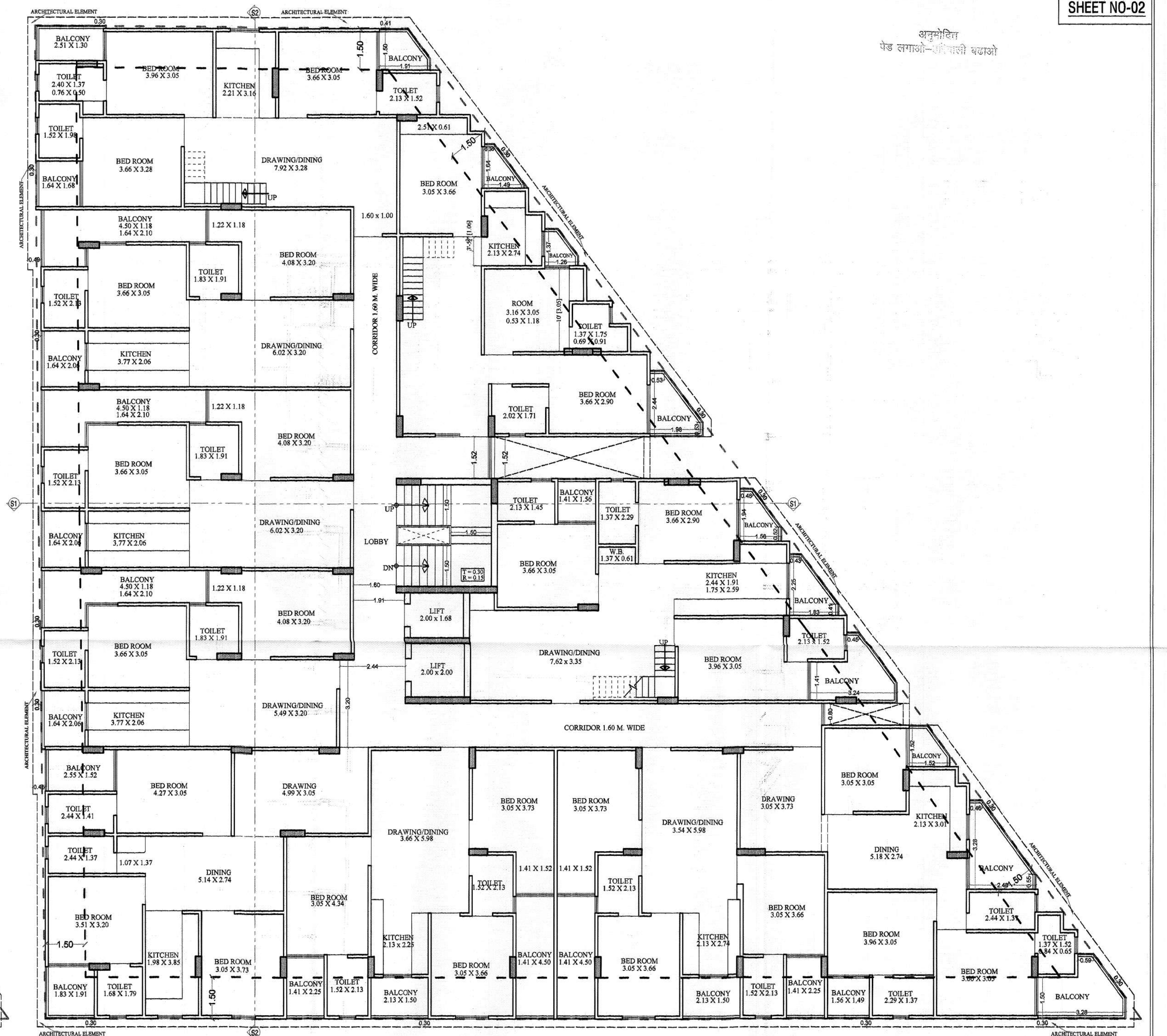


SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PIT

अनुमोदित
पेठ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ



1st TO 5th FLOOR PLAN



6th FLOOR PLAN

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.

500 रु की से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत प्रकल्पों में नीचे पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ prominently display की जाएगी उस अवस्था में सौकर भवन निर्माण भवन निर्माणकर्ता द्वारा सौकर के लिए सहायक भवन में सौकर भवन निर्माण करने की शक्ति से एक सहायक भवन में प्रदर्शित अवस्था में होगा।

अनुमोदित
पेठ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

अनुमोदित
पेठ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

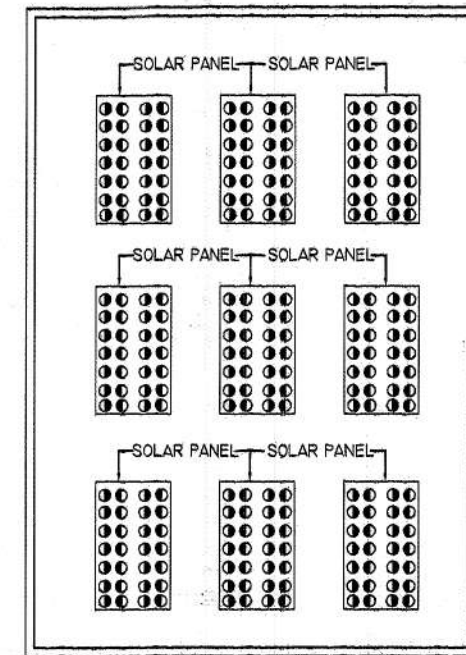
अनुमोदित
पेठ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

अनुमोदित
पेठ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

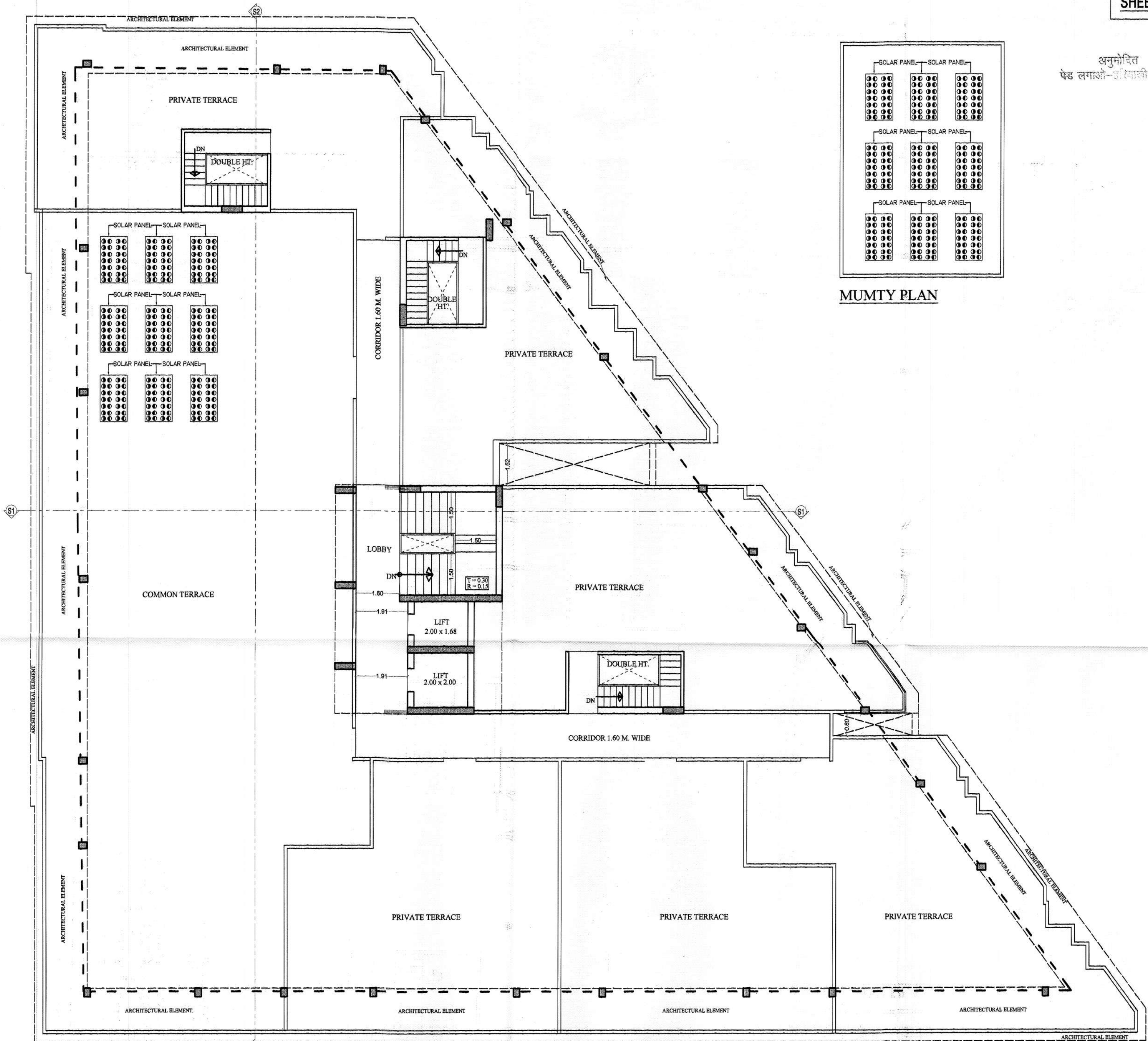
अनुमोदित
पेठ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

	OWNER
SCALE = 1:100	
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO.- 369, 370, 371, 406 & 407, PINK CITY ENCLAVE, JAIPUR	
ARCHITECT :- SPACE GRID C-48, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (0) Email-info.spacegrid@gmail.com	
SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451	

अनुमोदित
पेड लगाओ-हरीवाली बडाओ



MUMTY PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

COMMON TERRACE AREA = 326.83 SQ.MT.
TOTAL TERRACE AREA = 1025.68 SQ.MT.
PERCENTAGE OF COMMON TERRACE AREA = $326.83 / 1025.68 \times 100 = 31.86\%$

500 बर्षों से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ प्रामाणिकता display की जायेगी। उक्त प्रकरणों के स्थापित भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्रकाश होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रकरणत भूमि/भवन के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों को प्रभावित करेगा। मौके किये गये भवन निर्माण की संरचना का दायित्व प्राप्ति का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलान व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्वेषा जयपुरा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 13/03/24 को रखा जाकर 31/03/24 में निर्णय लेने के बाद मानचित्र पत्रांक जयपुरा/उपा/3-1/2024 की 6216 दिनांक 03/5/24 को जारी कर अनुमोदित किये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 13.11.1 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संश्लेषण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्वेषा जयपुरा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding be further construction.

		OWNER
SCALE = 1:100		
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO.- 369, 370, 371, 406 & 407, PINK CITY ENCLAVE, JAIPUR		
ARCHITECT :- 		
SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (O) Email-info.spacegrid@gmail.com		
SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451		

अनुमोदित
प्लेट लगाओ-हरियाली बचाओ

इस परियोजना का अनुमोदन किसी भी प्रकार से भूतल/सुरक्षा
हस्ताक्षर/संकेत का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
यदि इसे किसी भी प्रकार से प्रतिलिखित किया जायेगा
तो इसे दंडित किया जायेगा।

500 बर्ग मी. से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत
भवन में नोड पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवश्यतया
prominently display की जाने वाली चक्रवाली के
सहित भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत
प्लेट लगाया जाना है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 14 के विनियमों के
अनुसार सार्वजनिक रूप से विनियमित व्यक्तियों के
सिरे प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधिकरण रखे जाये
अथवा जलिया द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध
निवेदनानुसार कार्यवाही की जायेगी।

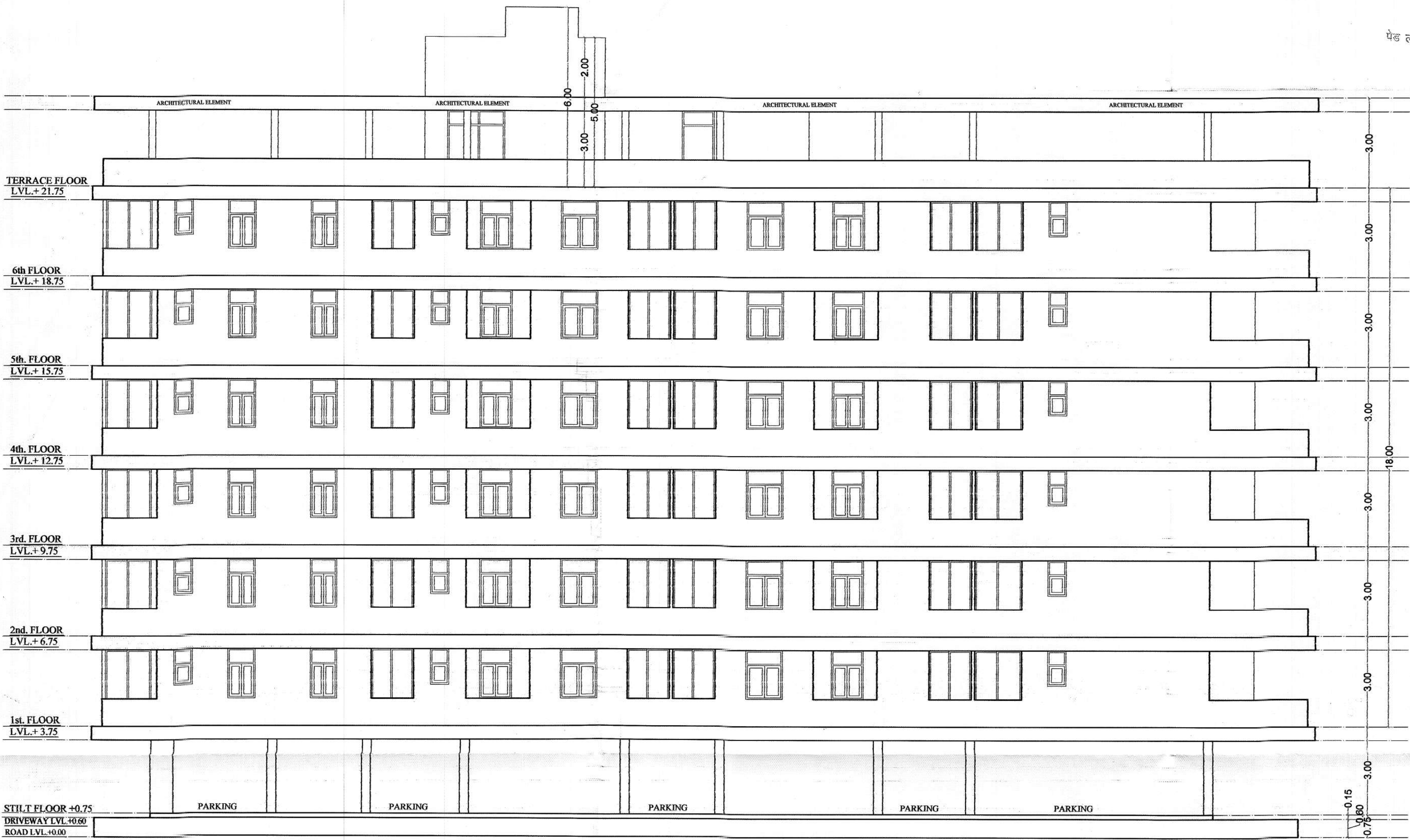
प्रकरण को जोन सौर्य समिति वेबसाइट 13/05/24
को रखा जाकर 20/05/24 को उपयोग के भवन
मानचित्र पत्रक जलिया/उपा/जोन-9/2024/
बी. 6216 दिनांक 05/05/24 को जारी कर
अनुमोदित किया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 10.11.1 के विनियमों के
अनुसार भू-उप-उपकरण का प्रस्तावित का
भवन में विशेष प्राधिकरण रखे जाये अथवा जलिया
द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध निवेदनानुसार
कार्यवाही की जायेगी।

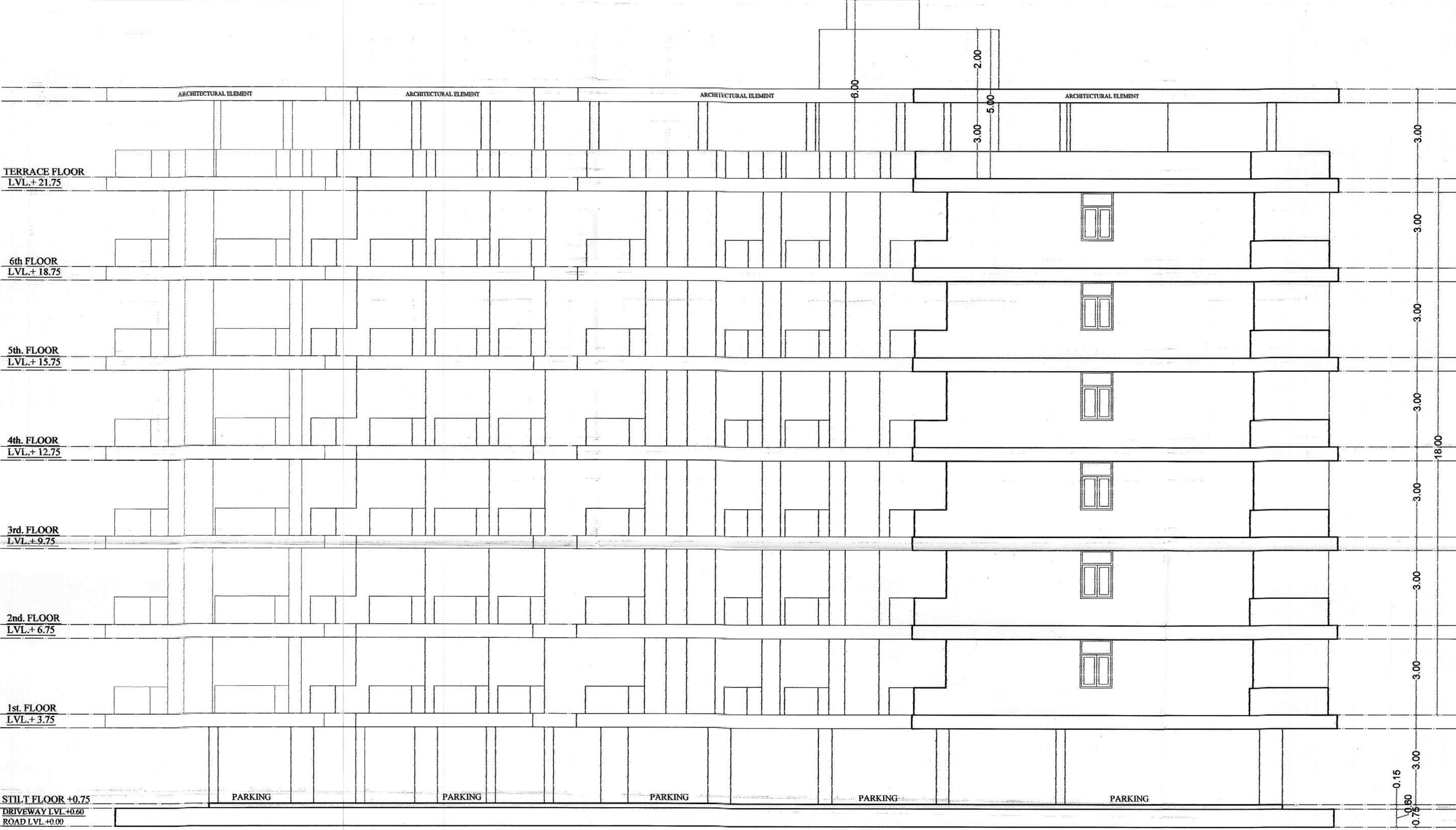
Applicant should get construction
checked at plinth level before
proceeding be further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

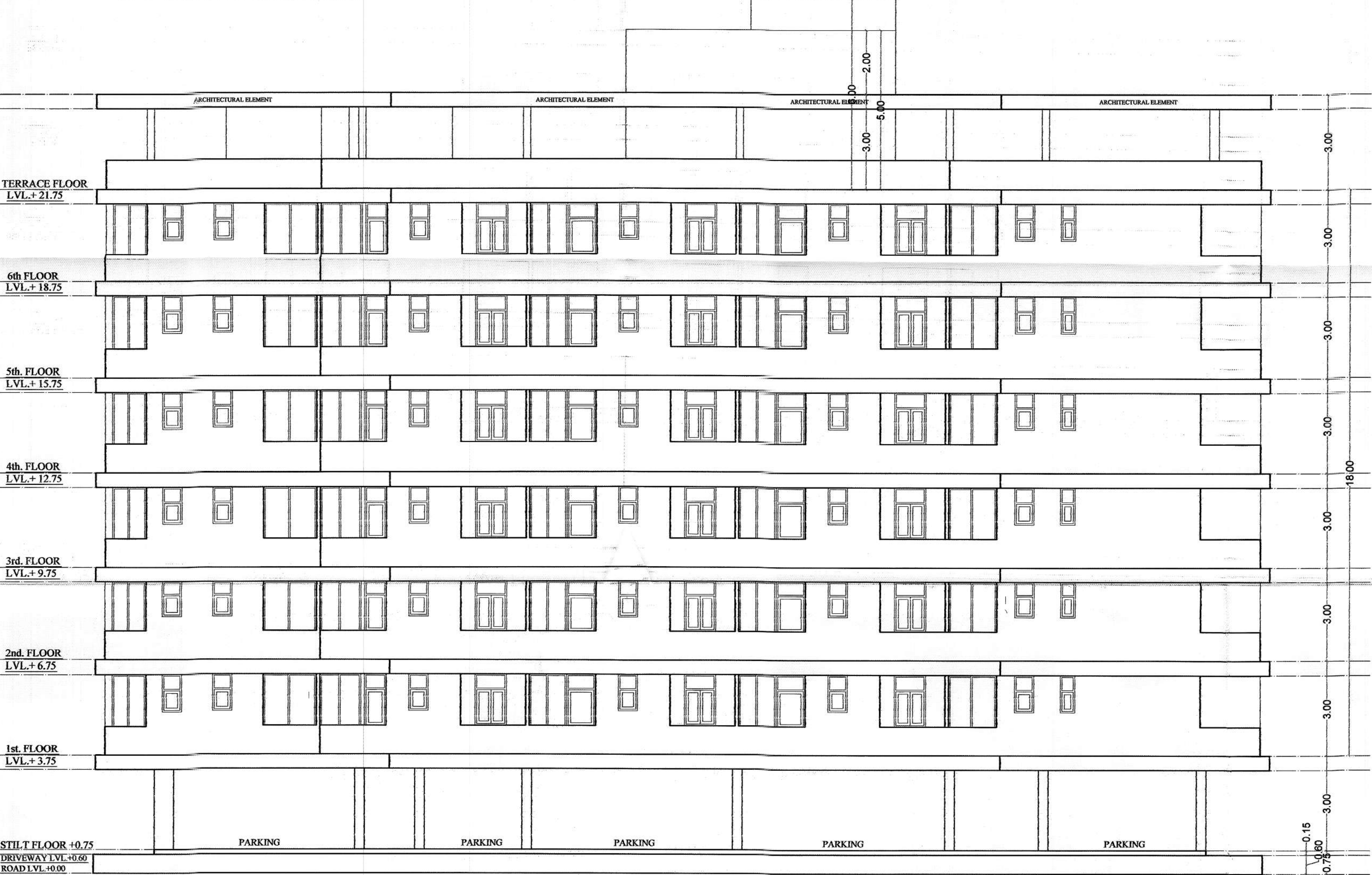
उपायुक्त एवं जलिया अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



EAST SIDE ELEVATION

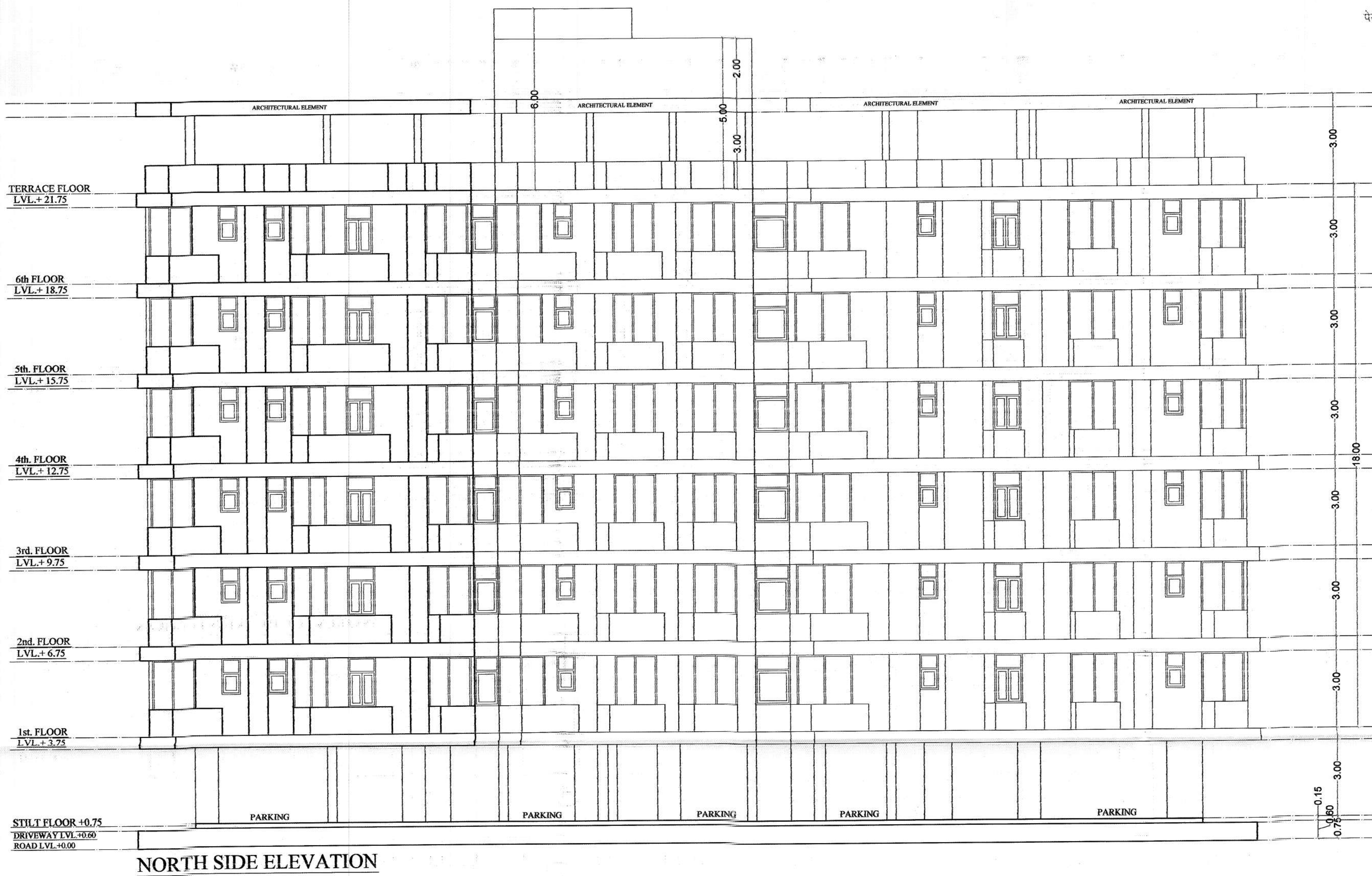


WEST SIDE ELEVATION



SOUTH SIDE ELEVATION

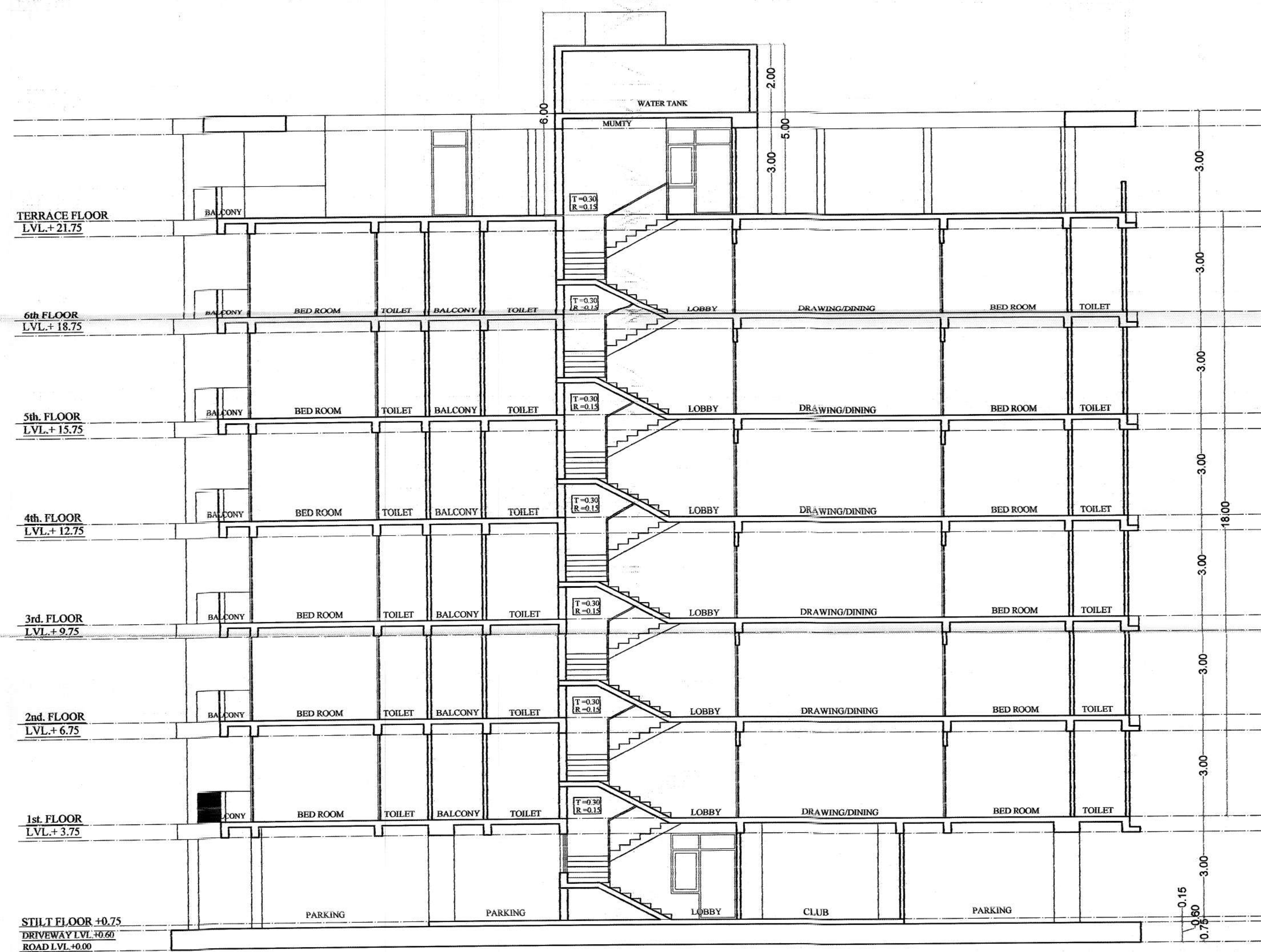
OWNER	
SCALE = 1:100	
PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO.- 369, 370, 371, 406 & 407, PINK CITY ENCLAVE, JAIPUR	
ARCHITECT:- SPACE GRID C-49 MOYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com	
SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451	



NORTH SIDE ELEVATION



SECTION S2-S2



SECTION S1-S1

हम मानविक को अनुमोदित करने में प्रसन्न हैं।
हम मानविक को अनुमोदित करने में प्रसन्न हैं।
हम मानविक को अनुमोदित करने में प्रसन्न हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
निर्माण 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशों के
अनुसार प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधिकरण से जारी
अनुमोदित कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
निर्माण 2020 की धारा 14 के दिशा निर्देशों के
अनुसार प्रस्तावित भवन में विशेष प्राधिकरण से जारी
अनुमोदित कार्यवाही की जायेगी।

Applicant should get construction
checked at plinth level before
proceeding be further construction.

300 वर्ग मी. से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत
सुधारों में चौड़े दर स्तन निर्माणों द्वारा अवलोकन
prominently display की जायेगी तथा प्रकरणों के
संबंधित भवन मानविक भवन निर्माणों द्वारा स्थापित
नैतिक समझौते को नैतिक मानविक भवन होने की
स्थिति से एक सख्त में प्रदर्शित करना, अनिवार्य होगा।

प्रकरण को जैन तरीके से तैयार किया जायेगा।
को रखा जायेगा।
को रखा जायेगा।
को रखा जायेगा।

OWNER	
SCALE = 1:100	
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO.- 369, 370, 371, 406 & 407, PINK CITY ENCLAVE, JAIPUR	
ARCHITECT :- SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com	
SHRI KRISHAN ARCHITECT CA/99/25451	